भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4819

जिसका उत्तर 21.08.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग - 752ई/561ए का खराब निर्माण

4819. श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)- 752ई/561ए के पैठण-पंढरपुर खंड विशेष रूप से बोधेगाँव से दिघोल (बीड जिला, महाराष्ट्र) तक का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर दरारें पड़ गई हैं और सड़क दुर्घटनाओं में कई मौतें हुई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना में 'दायरे में परिवर्तन', 'अतिरिक्त मदों', 'दायरे में कमी' और 'समय विस्तार' जैसे प्रावधानों का संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए दुरुपयोग किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार पूरे मामले की जाँच के लिए एक स्वतंत्र उच्च-स्तरीय समिति के गठन पर विचार कर रही है और पीड़ित परिवारों को मुआवजा प्रदान करने के लिए कोई ठोस योजना भी तैयार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-752ई/561ए के पैठण-पंढरपुर खंड, विशेष रूप से बोधेगाँव से दिघोल (बीड जिला, महाराष्ट्र) तक, का निर्माण दो पैकेजों में किया गया है: पैठण से शिरूर जिसकी लंबाई 55.937 किमी है और शिरूर से खरदा जिसकी लंबाई 54.109 किमी है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग खंड पर निर्माण कार्य भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) द्वारा निर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों और डिज़ाइन के अनुसार किया गया है। तथापि, 48,908 कंक्रीट पैनलों में से लगभग 540 कंक्रीट पैनलों में दरारें देखी गई हैं और संविदाकार को इन टूटे हुए पैनलों को बदलने/मरम्मत करने का निर्देश दिया गया है। तथापि, उपरोक्त टूटे हुए पैनलों के कारण किसी जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है।

(ख) पैठण से शिरूर खंड में 242.82 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत सिविल लागत के मुकाबले 11.36 करोड़ रुपये की लागत से 'कार्यक्षेत्र में परिवर्तन' और 'अतिरिक्त मदों' को क्रियान्वित किया गया है और शिरूर से खारदा खंड में 245.12 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत सिविल लागत के मुकाबले 4.56 करोड़ रुपये की लागत से अतिरिक्त पुलिया, पुलिया के प्रकार में ह्यूम पाइप पुलिया से कंक्रीट बॉक्स पुलिया में परिवर्तन, पाटोदा निर्मित खंड में चार लेन का निर्माण और वन क्षेत्रों में कंक्रीट फुटपाथ के बजाय बिटुमिनस फुटपाथ का निर्माण कार्य संविदा करार के प्रावधानों के अनुरूप स्थल की स्थितियों के अनुसार किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना में एनएच-548डी के पहले से स्वीकृत चुम्बाली से मंजरसुंभा खंड के साथ ओवरलैप करने वाले शिरूर से खारदा खंड की 4.44 किलोमीटर लंबाई को 'कार्यक्षेत्र से बाहर' कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) पर विवाद, अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण में देरी और कोविड-19 महामारी के कारण 31.03.2022 तक 'समय विस्तार' प्रदान किया गया है। संविदाकारों को संविदा करार के प्रावधानों के स्थान पर कोई अनुचित लाभ नहीं दिया गया है। आज की तरीख तक, पैठण से शिरूर खंड में 48.61 किलोमीटर और शिरूर से खरदा खंड में 48 किलोमीटर लंबाई का कार्य पूरा हो चुका है। दोनों खंडों के शेष लंबाई, जहाँ मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) पर विवाद के कारण कार्य नहीं हो पाया है, संबंधित संविदाकारों के कार्यक्षेत्र से हटाने पर विचार किया जा रहा है।

(ग) परियोजना की गुणवत्ता लेखा परीक्षा के आदेश दे दिए गए हैं और रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुआवज़ा देने के संबंध में, सरकार ने 25 फरवरी, 2022 को अधिसूचना जारी कर सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जाँच, इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) और उसकी सूचना देने, विभिन्न हितधारकों के लिए समय-सीमा और मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दावों के तेज़ निपटान की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है।

*****